सं0सं0–6/N-08-185/2018.....991(6)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन,
बिहार।

दिनांक– 5/8/2019

विषयः **राज्य के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में नर्सिंग संस्थानों की स्थापना के लिए पैरेंट अस्पताल एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अस्पताल की जांच के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना हैं कि राज्य के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में नर्सिंग शिक्षा हेतु मान्यता प्राप्त ए0एन0एम0/जी0एन0एम0/बी0एस0सी0 (नर्सिंग)/पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 (नर्सिंग) एवं एम0एस0सी0 (नर्सिंग) प्रशिक्षण संस्थान संचालित है। नर्सेज ट्रेनिंग–रिकोगनिशन एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ इक्जामिनेशंस ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम–04 के उपनियम–II के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानानुसार नर्सिंग संस्थानों की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान किया जाता है। तदोपरान्त उपनियम–III के आलोक में विशेषज्ञ समिति द्वारा संस्थान का निरीक्षण कराकर मान्यता प्रदान किया जाता है।

भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के अनुसार जी0एन0एम0 एवं उच्चतर नर्सिंग संस्थानों की स्थापना के लिए 100 बेड का पैरेंट अस्पताल का होना अनिवार्य है। ए0एन0एम0 के लिए 150 बेड वाले जिला अस्पताल या सेकेण्डरी केयर अस्पताल तथा कॉम्यूनिटी स्वास्थ्य कार्यक्रमों में अनुभव हेतु न्यूनतम 30 एवं अधिकतम 50 बेड की क्षमता वाले ग्रामीण अस्पताल से संबद्धता प्राप्त होना आवश्यक है। इसके निमित प्रस्तावक संस्थान के पास उपलब्ध पैरेंट अस्पताल/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु संबद्ध अस्पताल की जांच संबंधित जिले के सिविल सर्जन से किये जाने तथा अस्पताल का Bihar Clinical Establishment Act से निबंधित होने को अनिवार्य किया गया है। पैरेंट अस्पताल एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण से संबंधित दिशा–निर्देश एवं मापदण्ड की प्रति वेबसाईट www.indiannursingcouncil.org पर उपलब्ध है।

3–राज्य के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में नर्सिंग स्कूल/संस्थान की स्थापना के लिए अस्पताल की जांच हेतु निम्नवत दिशा–निर्देश एवं प्रक्रिया निर्धारित किया जाता है :–

(i) नर्सिंग संस्थानों की स्थापना के निमित प्रस्तावक ट्रस्ट/सोसाईटी/कम्पनी पैरेंट अस्पताल/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु संबद्ध अस्पताल की जांच हेतु संबंधित जिले के सिविल सर्जन के समक्ष अभिलेख सहित आवेदन समर्पित करेंगे। सिविल सर्जन आवेदन प्राप्ति के एक माह के अन्दर

अनिवार्य रूप से आई0पी0एच0एस0 के मानक के अनुरूप संबंधित अस्पताल का निरीक्षण कर अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। उक्त प्रमाण पत्र में संबंधित अस्पताल का बेड ब्रेकअप, बेड की उपलब्धता, शैय्याछादन दर की उपलब्धता तथा अस्पताल Bihar Clinical Establishment Act से निबंधित है अथवा नहीं का भी उल्लेख रहेगा। उक्त अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों एवं पारामेडिकल कर्मियों की विवरणी भी उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त प्रमाण पत्र तीन प्रति में तैयार किया जायेगा। एक प्रति निर्गत करने वाले कार्यालय में संधारित होगा। दूसरा प्रति प्रस्तावक संस्थान को उपलब्ध कराया जायेगा तथा तीसरी प्रति निदेशक प्रमुख (नर्सिंग), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के नाम से स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

(ii) इसके उपरान्त प्रस्तावक ट्रस्ट/सोसाईटी/कम्पनी अनापति प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए नर्सिंग संस्थानों की स्थापना के लिए अनुमति हेतु निर्गत विहित प्रपत्र में आवेदन निदेशक प्रमुख (नर्सिंग), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के नाम से करेंगें।

(iii) पूर्व से संचालित मान्यता प्राप्त संस्थान अपने पैरेंट अस्पताल को Bihar Clinical Establishment Act से निबंधन करा लेंगे एवं बेड ब्रेकअप, बेड की उपलब्धता तथा शैय्याछादन दर के संदर्भ में संबंधित जिले के सिविल सर्जन से तीन माह के अन्दर अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त कर विभाग को सूचित करेंगे।

विश्वासभाजन

23/7/2015

(संजय कुमार)
प्रधान सचिव।